



कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर - 495442
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Special College
Code - 2812

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Tel: 07753255490; Mob; 8962311524
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in; col-mratanpur.cg@gov.in

// सूचना //

दिनांक 28/10/2021

महाविद्यालय में सत्र 2021-22 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का डाटा एकत्रित किये जाने बाबत निर्देश कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, अटल नगर (छ.ग.) द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसमें डाटा एकत्रित करने हेतु नमूना प्रति संलग्न है।

महाविद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समस्त विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी पूर्ण कर अपने कक्षा प्रभारी को दिनांक 30/10/2021 तक आवश्यक रूप से जमा करें।

आवश्यक जानकारी भरे जाने हेतु विद्यार्थी अपने परिवार के राशनकार्ड का उपयोग करें, एवं सादे कागज में तालिका बनाकर संलग्न तालिका अनुसार जानकारी भर कर जमा कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के परिवार को राशनकार्ड आबंटित नहीं है, वे राशनकार्ड कॉलम में आबंटित नहीं लिखकर परिवार की शेष जानकारियाँ प्रविष्टि कर प्रपत्र जमा करें।

01. दो गज की दूरी मास्क है जरूरी।
02. कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन (टीकाकरण) आवश्यक है।
03. कोरोना संक्रमण से बचाव के अन्य दिशानिर्देशों का पालन जरूर करें।

(डॉ. आर. एस. खेर) 28.10.21

Principal
Govt. Mahamaya College,
Ratanpur, Distt. Bilaspur (C.G.)

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी ही करें।
शासकीय महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.)

विद्यार्थी का नाम :-

कक्षा :-

क्र	विद्यार्थक/म एडमिशन नम्बर	रजिस्ट्रेशन कार्ड का नम्बर	पुस्तिका का नाम हिन्दी में	पुस्तिका का नाम अंग्रेजी में	पुस्तिका के मालिकाना का नाम हिन्दी में	पुस्तिका के मालिकाना का नाम अंग्रेजी में	नेशनल इड / फोटो /सुवा नम्बर	अन्य लिपि	परिहार के सदस्यों का नाम हिन्दी में	परिहार के सदस्यों का नाम अंग्रेजी में	गृहस्थ का सम्बन्ध	सदस्यों का पुस्तिका से संबंध	श्रेणी (OBC/ General)	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नगरीय निकाय	जनपद का नाम	बिना परिवार का नाम	ग्राम का नाम	नगर का नाम	वार्ड का नाम	दिना की नाम	EWWS (Income Above 8 Lakh or Below	क्या आपके पास निम्नलिखित संपत्तियाँ हैं। (A) 05 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक (B) 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक आवासीय भूमि/घर/फ्लैट (C) अधिसूचित नगरीय निकाय में 100 वर्ग मीटर/900 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड (D) अधिसूचित नगरीय निकाय कि अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग मीटर/1800 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					